न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 8/2020/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 3.2.2020
अंन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

ओमप्रकाश सुवालका आत्मज बालचंद जाति कलाल निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी (राज0)।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये उप खण्ड मजिस्ट्रेट, तालेडा जिला बूंदी ।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 17.2.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट तालेडा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 2207 टोपीदार बन्दूक 7929 के नवनीकरण के संदर्भ मे पारित आदेश क्रमांक/न्याय/2018/3109 दिनांक 18.10.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा धारित द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 2207 टोपीदार बन्दूक 7929 वैधता अवधि 31.12.2013 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये जाने पर नवीनीकरण के सबध मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 3868 दिनांक 19.4.2018 अनुसार हथियार के रख रखाव मे लापरवाही बरतने से नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई। पुलिस अधीक्षक बूंदी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड मजि0 तालेंडा द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से रिवोक किये जाने का जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2018/3109 दिनांक 18.10.2018 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे इस आशय की पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया। अपीलांट निरन्तर आर्म्स नियमों की पालना करता आ रहा है तथा कभी नियमों का उल्लधन नही किया। पुलिस रिपोर्ट दिनांक 19.4.2018 मे लाईसेन्स नवीनीकरण नही करने का समुचित आधार वर्णित नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पुलिस रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया। इस प्रकार इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के विपरीत गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलांट का लाईसेन्स रिवोक कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक एंव न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया। पुलिस रिपोर्ट दिनांक 19.4.2018 मे लाईसेन्स नवीनीकरण नही करने का समुचित आधार वर्णित नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पुलिस रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया। जेरअपील

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विपरीत है। अपीलांट द्वारा अनुज्ञापत्र की शर्तो का कभी उल्लधंन नही किया गया। लोकशांति व लोकसुरक्षा भंग करने जैसे कोई आरोप अपीलांट के विरूद्ध नही है ऐसी स्थिति मे शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने तालेडा का आदेश निरस्त किया जाकर लाईसेन्स नवीनीकरण का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट तालेडा द्वारा अपीलांट द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2207 टोपीदार गन नं0 7929 को को जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की नवीनीकरण के संबध मे प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 19.4.2018 के अनुसार हथियार के रख रखाव मे अनुज्ञापत्रधारी द्वारा लापरवाही बरतने के कारण आदेश क्रमांक/न्याय/2018/3109 दिनांक 18.10.2018 से तत्काल प्रभाव से रिवोक किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि पुलिस रिपोर्ट मे वर्णित तथ्य लाईसेन्स रिवोक करने का समुचित आधार नही है। अपीलार्थी को पुलिस रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता कि पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीनीकरण के संबध मे प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 3868 दिनांक 19.4.2018 मे हथियार के रख रखाव मे लापरवाही को परिभाषित नही किया गया है ऐसी स्थिति मे पुनः विस्तृत जांच की जाना अपेक्षित है। जेरअपील आदेश के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी की नवीनीकरण के संबध मे प्राप्त उक्त आशय की रिपोर्ट के संदर्भ मे अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बगैर जेरअपील आदेश पारित किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विपरीत होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणमस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2018/3109 दिनांक 18.10.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबध मे पुनः जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से विस्तृत एवं तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत व तथ्यात्मक निर्णय पारित करें।

7 निर्णय आज दिनांक 17.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा